पत्रांक सं0–/डी0एल0ए0 कटिहार (संपर्क सड़क) मुरादपुर–20/2011 – पटना, दिनांक–

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सु,धार विभाग
(भू–अर्जन शाखा)
–:अधिसूचना :–

संख्या...........–2972/रा.भू–अर्जन कटिहार , दिनांक - 18-12-13

चूँकि बिहार राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि मौजा– मुरादपुर थाना न0 291 थाना कोढ़ा परगना धर्मपुर जिला कटिहार के अन्तर्गत नजीर गॉव डुमरिया मुख्य सड़क तक सम्पर्क सड़क निर्माण के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा भूमि का अधिग्रहण अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त परियोजनार्थ पुर्वोक्त ग्राम मुरादपुर थाना नं0 291 के भीतर एक भुखंड अपेक्षित है, जो मानक माप से कमोावेश 0.13 एकड़ (तेरह डिसमल) के बराबर होता है, जिसका खेसरा नं0 2769,2780,2781,3324,3325,3327,एवं 3328 का अंश है तथा जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है:–

उत्तर:– मौजा मुरादपुर थाना नं0 291 का सर्वे खेसरा नं0 2750 बिहार सरकार सड़क ।

पूरब:– मौजा मुरादपुर थाना नं0 291 का सर्वे खेसरा नं0 2781,3324,3325,3327,3328,का अंश एवं 3323 पूर्ण।

दक्षिण:– मौजा नजीर गंज ग्राम का बिहार सरकार सड़क।

पश्चिम:– मौजा मुरादपुर थाना नं0 291 का सर्वे खेसरा नं0 2769,2780 एवं 2780 एवं 2781 का अंश।

यह अधिसूचना बिहार अधिनियम 11, 1961 द्वारा (यथा संशोधित)अधिनियम 1–1984 की धारा –4 के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है जिसका इससे सम्बन्ध हो।

भूमि का नक्सा भू–अर्जन पदाधिकारी, कटिहार के कार्यालय में देखा जा सकेगा।

बिहार सरकार भू–अर्जन पदाधिकारी, कटिहार और उनके कर्मचारी तथा इस परियोजना के आरम्भिक अनुसंधान में तत्समय लगे सम्बन्धित अंचल पदाधिकारी एवं उनके कर्मचारी को प्राधिकृत करती है कि भूमि में प्रवेश कर भूमि का सर्वेक्षण करें तथा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) मे यथा उपबंधित या विनिदिृष्ट अपने कार्यो के समुचित निष्पादन के लिए अपेक्षित अन्य सभी कार्य करें।

और चूंकि बिहार राज्यपाल की राय है कि उक्त भूमि कृषि योग्य है तथा इसकी तुरन्त अर्जन आवश्यक है, इसलिए उस अधिनियम की धारा 17 के उप धारा (4) के अधिन आदेश दिया जाता है कि उस अधिनियम की धारा 5(क) के उपबंध उस भूमि पर लागू नही होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0

सरकार के अवर सचिव

D:\DLAO- 2013\MEHRA SIR\Nov-Dec\MEMO.doc

ज्ञाप सं0 – 14/डी0एल0ए0 कटिहार (संपर्क सड़क) मुरादपुर–20/2011 -2972/रा0- पटना, दिनांक-18-12-13

प्रतिलिपि 1. तीन प्रतियां सी0 डी0 के साथ निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार, पटना को दो दैनिक समाचार पत्रों, जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, कटिहार को भेजने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि 2. प्रभारी उप समाहर्त्ता, जिला गजट, कटिहार को जिला गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित गजट की 5 प्रतियां जिला भू–अर्जन कार्यालय को भेजने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि 3. समाहर्त्ता/जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

17/12/13

सरकार के अवर सचिव।